उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-30/2021/एस-2-I/64845/दस-2021-71-3002(001)/3/2021

लखनऊ :: दिनॉक: 04 मई,2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा हेतु सृजित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर एवं जौनपुर के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक के पद का अतिरिक्त प्रभार नियमित तैनाती/अग्रिम आदेशों तक संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारियों को प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ते आदि देय नहीं होगें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-30/2021/एस-2- I/64845 (1)/दस-2021,तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर एवं जौनपुर ।
5- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया,एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर एवं जौनपुर ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर एवं जौनपुर।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।